न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 16/2013

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
नारणा पुत्र मोती जाति कलबी निवासी जेसावास तहसील बागोडा जिला जालोर	1	लीलादेवी उर्फ रम्भादेवी पत्नी मनरूपाराम जाति कलबी निवासी जेसावास तहसील बागोडा
	2	वेलीया पुत्र मोती
	3	भलीया पुत्र मोती जातियान कलबी निवासीगण जेसावास तहसील बागोडा जिला जालोर
	4	राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बागोडा जिला जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री जगदीश गोदारा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3

–: निर्णय :–

दिनांकः– 9.4.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलेक्टर बागोडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 86/2010 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.04.2013 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 का प्रस्तुत किया, जिसमें निवेदन किया कि ग्राम जेसावास में वादीया एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि आई हुई स्थित है, जिसमें वादीया/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1/रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का 2/5 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट संख्या 3/प्रतिवादी संख्या 2 का 1/5 एवं अपीलाण्ट का 1/5 हिस्सा होना जाहिर किया, साथ ही यह भी जाहिर किया कि रेस्पोडेन्ट वेलीया द्वारा अपने 2/5 हिस्से की भूमि दिनांक 09.08.2010 को जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लीलादेवी से भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

आदान प्रदान की है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व उसका भाई हटीया व हाजीया के नाम की भूमि में से हाजीया के 1/5 हिस्से की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के खरीद किया। हाजीया का कब्जा काश्त आपसी सहमति से व पारिवारिक बंट अनुसार खसरा नम्बर 275 रकबा 9.75 हैक्टेयर में से 2.72 हैक्टेयर भूमि जो खसरा नम्बर 275 के दक्षिणी–पूर्वी कोने पर था तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादीया का कब्जा काश्त खसरा नम्बर 490 रकबा 3.77 हैक्टेयर पर होने के कारण, इस अनुरूप खातेदारी घोषणा एवं विभाजन का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो तनकीयात कायम की गई, वह मात्र धारा 53 के अनुरूप की गई, जबकि वाद में खातेदारी घोषणा का अनुतोष भी चाहा गया था, जिस पर कोई तनकी कायम नहीं की गई तथा विधि विरूद्ध रूप से विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की, जो अपास्त योग्य है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के भाई हटीया का उक्त आराजी में 1/5 हिस्सा था, जो उसके द्वारा प्रतिवादी वेलीया के पक्ष में हकतर्क किया, उक्त हकतर्कनामे को निरस्त करने हेतु हटीया के पुत्र द्वारा सक्षम न्यायालय मे वाद प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई है, उसमें वादीया/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कब्जा काश्त नहीं होना बताया है। मौका कमिश्नर द्वारा खसरा नम्बर 275 पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त होना बताया है एवं उक्त भूमि पर अपीलाण्ट की ढाणी भी बनी हुई है। इसके अतिरिक्त खसरा नम्बर 490 पर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कोई कब्जा काश्त नहीं होना बताया। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त कराते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौका कमिश्नर द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसमें खसरा नम्बर 490 पर हमारा कब्जा दर्शाया है एवं खसरा नम्बर 275 रकबा 9.72 हैक्टेयर में से दक्षिणी कोने पर हमारी भूमि स्थित है। उक्त भूमि पूर्व में मोती की भूमि थी तथा मोती के पांच पुत्र थे, जो नारणा, वेलिया, भलिया, हटीया व हाजिया था। हाजिया द्वारा अपने हिस्से की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेचान की है तथा हटीया द्वारा अपने 1/5 हिस्से की भूमि वेलीया के पक्ष में हकतर्क की है। हटीया के पुत्र द्वारा उक्त हकतर्कनामे को निरस्त कराने हेतु वाद प्रस्तुत भी किया है, जो उससे हमें क्या लेना देना है। राजस्व रेकर्ड में हम खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा मौका कमिश्नर रिपोर्ट में हमारा कब्जा साबित होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो तनकीयात कायम की गई है, वे हमारे पक्ष में विनिश्चित हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का विवेचन करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है तथा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के आदेश पारित किये है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

बहस' पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा बतौर वादीया वाद प्रस्तुत कर अपनी खरीदसुदा भूमि में से अपने हक हिस्से की भूमि की पृथक से खातेदारी घोषित कराते हुए विभाजन कराने का अनुतोष चाहा। उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा वाद पत्र के तथ्यों को नकारते हुए जवाबदावा प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कुल 6 तनकीयात कायम की गई, जो इस प्रकार है –

1. आया मौजा जेसावास में स्थित आराजी खसरा नम्बर 275 रकबा 9.75 हैक्टेयर में से 2.72 हैक्टेयर दक्षिणी पूर्वी कोने पर स्थित एवं खसरा नम्बर 490 रकबा 3.77 हैक्टेयर का सम्पूर्ण हिस्सा दावे के साथ प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में लाल स्याही में वर्णित आराजी वादीया अपनी खातेदारी घोषित कराने की अधिकारी है ?

   जिम्मे वादीया

2. आया उक्त वर्णित आराजी पर वादीया अपने हिस्से पर काबिज अनुसार भौतिक विभाजन कराकर खातेदारी दर्ज करवाने की अधिकारिणी है तथा साथ ही अपने कब्जे काश्त बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारी है ?

   जिम्मे वादीया

3. आया वादग्रस्त आराजी कुल रकबा 13.68 हैक्टेयर में वादीया का 1/5 हिस्सा की शामलाती खातेदारी होने से वादीया बिना बंटवाडा कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है ?

   जिम्मे प्रतिवादी संख्या 3

4. आया वादग्रस्त आराजी में स्व0 हटिया की 1/5 की शामलाती खातेदारी भूमि पर उसके गोदपुत्र हरदाना का कब्जा है। शामलाती खातेदारी भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 वेलीया ने अपने हक में दिनांक 08.08.2008 को तर्कनामा कराया है, जिसे रद्द कराने बाबत दीवानी वाद संख्या 1/2009 न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश भीनमाल में पेश किया हुया है, जिससे वादीया का वाद चलने योग्य नहीं है ?

   जिम्मे प्रतिवादीगण

5. आया वादीया का खसरा नम्बर 275 रकबा 2.72 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 490 पर एक अजनबी क्रेता के नाते मौके पर कब्जा काश्त नहीं होने से वादीया अन्यत्र घोषित कराने तथा उक्त आराजी अपने बंट में निश्चित भू भाग का बंटवाडा करवाने की अधिकारिणी नहीं है ?

   जिम्मे प्रतिवादी संख्या 3

6. आया वादग्रस्त आराजी बाबत श्रीमान सेशन न्यायाधीश भीनमाल द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 08.07.209 की परवाज किए बिना वादस्थ भूमि का हस्तान्तरण किया है, जिससे वाद काबिज खारिज है ? जिम्मे प्रतिवादी संख्या 2

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तनकी संख्या 4 व 6 में कानूनी बिन्दु निहित होने के कारण उनका विनिश्चय समुचित नियमों एवं सन्दर्भ अंकित करते हुए किया जाना था, जो नहीं किया गया तथा साथ ही भूमि के सम्बन्ध में दीवानी वाद विचाराधीन रहते राजस्व वाद किस हद तक प्रभावित होता है, इस बिन्दु को भी अधीनस्थ न्यायालय को रेखांकित करते हुए विस्तृत विवेचन किया जाना था, जो नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त जिस रूप में तनकीयात को विनिश्चित किया गया है, उसे विधि अनुसार नहीं माना जा सकता है। विधि अनुसार समस्त तनकीयात को पृथक पृथक रूप से विनिश्चित किया जाना आज्ञापक है, जिसका जैर अपील निर्णय में पूर्णतः अभाव पाया गया है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा राजस्व वाद संख्या 86/2010 में न्यायालय सहायक कलेक्टर बागोडा द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.04.2013 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों एवं उपरोक्त Observation को दृष्टिगत रखते हुए पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 9.4.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर